


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....245 / 2016..... जिलासिरोही.....

उनवान : मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, बिनानीग्राम, तहसील पिण्डवाड़ा, सिरोही.

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्, पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09 / 02 / 2016	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p style="text-align: center;"><u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय रथगन प्रार्थना—पत्र अपीलीय प्राधिकारी (द्वितीय), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के रथगन क्रमांक 63/सिरोही में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.12.2015 के विरुद्ध राजरथान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्, पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.08.2015 से सृजित मांग की वसूली के रथगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र को अस्वीकार किया है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2015 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 1,09,39,741/- कायम की गयी। तत्पश्चात अपीलार्थी के प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 33 पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2015 को आदेश पारित करते हुए केप्टिव पावर प्लांट में प्रयुक्त लिग्नाइट एवं अन्य माल तथा माइनिंग में प्रयुक्त माल तथा स्टॉक ट्रांसफर एवं स्वयं के उपयोग में काम में ली गई सीमेंट पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण करते हुए कुल मांग रूपये 74,55,791/- की मांग कायम की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के रथगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, मिसमैच आई.टी.सी., ब्याज व घोषणा—पत्रों के अभाव में आरोपित मांग राशि रूपये 40,29,670/- की वसूली को स्थगित करते हुए, रिवर्स टैक्स व ब्याज के बिन्दु पर आरोपित मांग की राशि को स्थगित करने से इंकार किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय रथगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 35,32,450/- की वसूली पर रथगन हेतु निवेदन किया गया है।</p>	  लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....245 / 2016..... जिलासिरोही.....

उनवान : मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, बिनानीग्राम, तहसील पिण्डवाड़ा, सिरोही.

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्, पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी—II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09 / 02 / 2016	<p>अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी ने कथन किया कि अपीलार्थी सीमेन्ट का विनिर्माता है तथा क्रीत माल का कच्चे माल, केपिटल गुड्स एवं ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है, जिस पर वह आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2007) 7 वेट रिपोर्टर 27 वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर बनाम राजस्थान टैक्सकेम लिमिटेड एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2010) 32 वी.एस.टी. 97 (गुज.) एमि पिंग्मेंट्स प्रा० लि० व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य का हवाला देते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आई.टी.सी. की देयता वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानानुसार ही होती है। अपीलार्थी द्वारा क्रीत माल का उपयोग माईनिंग कार्य में किया गया है, तैयार माल का स्टॉक ट्रांसफर में उपयोग किया गया है एवं स्वयं के उपयोग में लिया गया है, जिसके लिये आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 18 निम्नानुसार है :—</p>	

18. Input Tax Credit.—

- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of—
 - (a) sale within the State of Rajasthan; or
 - (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
 - (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
 - (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
 - (e) being used as raw material except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....245/2016..... जिलासिरोही.....

उनवान : मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, बिनानीग्राम, तहसील पिण्डवाड़ा, सिरोही.

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्, पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p>(f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or</p> <p>(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.</p> <p>(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.</p> <p>(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction , on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner. 	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....245 / 2016..... जिलासिरोही.....

उनवान : मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, बिनानीग्राम, तहसील पिण्डवाड़ा, सिरोही.

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्, पाली (2) अपीलीय अधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज — 4 —	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारील में जारी हुए
09 / 02 / 2016	<p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि माईनिंग में उपयोग में लिये कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर किये गये एवं स्वयं के उपयोग में लिये गये माल पर भी आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 2131 / 2011 मैसर्स मंगलम मार्बल्स प्रा० लि० व अपील संख्या 2132 / 2011 / चित्तौड़गढ़ मैसर्स कौरमोस्ट मार्बल्स प्रा० लि०, चित्तौड़गढ़ बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2013 तथा अपील संख्या 1546 / 2012 / उदयपुर मैसर्स वर्द्धमान टाईल्स प्रा० लिमिटेड, 35, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-IV, वृत्-सी, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2013 उद्धरित किये गये, जिनमें कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं माना गया है।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा क्रीत माल लिंगनाईट का उपयोग कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट में विद्युत उत्पादन में किया गया है। विद्युत ऊर्जा वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 12 'Electrical Energy' के तहत करमुक्त घोषित वस्तु है तथा करमुक्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त माल पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है।</p> <p>इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा माईनिंग, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, स्टॉक ट्रांसफर एवं स्वयं के उपयोग में प्रयुक्त माल पर चाहा गया आई.टी.सी. धारा 18 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने से इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से संबंधित प्रकरण 'ईंधन' के पंजीयन प्रगाण-पत्र में कच्चे माल के रूप में इंद्राजित होने के कारण रियायती दर पर क्रय किये जाने तथा कच्चे माल की परिभाषा से सम्बन्धित हैं, अतः अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..... 245 / 2016 जिला सिरोही

उनवान : मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, बिनानीग्राम, तहसील पिण्डवाड़ा, सिरोही.

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 5 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

09 / 02 / 2016

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अपीलीय आदेश, कर निर्धारण आदेश एवं अपील आधारों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।


उक्त समस्त तथ्यों के संयुक्त पठन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावर्णन पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत स्थगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


— २०१६

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर


— ०९/०२/२०१६

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर